न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी प्र0क0– R. 5056-पी/15

[redacted]

Rs 20/-

आम जनता अमौधा कला (विराट नगर कालोनी) सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 द्वारा– बालेन्द्र गौतम तनय् श्री रामायण प्रसाद गौतम आयु 40 वर्ष निवासी विराट नगर कालोनी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..निगराकार

बनाम

1– अखिलेश सिंह तनय् सानन्द सिंह निवासी पन्ना रोड पतेरी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2– शासन म0प्र0 द्वारा राजस्व निरीक्षक रैगांव/सोहावल...........गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील रघुराजनगर वृत्त रैगांव जिला सतना के न्यायालय के रा0प्र0क0–6अ5/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 25/03/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकारा है कि मौजा अमौधा कला तहसील रघुरानगर जिला सतना स्थित आराजी नं0–630 के पूर्व स्वामी मेसर्स विराट नगर प्रापर्टी विराट नगर सतना थे जिनके द्वारा उक्त आराजी के संबंध मे नियमन अभिन्यास तैयार कर खण्ड–खण्ड वार भूखंण्ड बनाये गये तथा भावी केताओ के आवास को दृष्टिगत रखते हुये अभिन्यास के अनुसार पार्क स्थल के लिये भूमि छोडी गई साथ ही सडक निर्माण के लिये भूमि निर्धारित की गई अभिन्यास का नियमन अनुमोदन कराने उपरान्त भिन्न भिन्न व्यक्तियो को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

(49)

जिला–सतना

[redacted] क्रमांक R5056-II/15

आमजनता अमौधा/ अखिलेश सिंह

(1)	(2)	(3)
5-8-19 M	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त रैगांव, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 6/अ–5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	

... पृष्ठगत रखत हुये अभिन्यास के अनुसार पार्क स्थल के